नव भारत

पेड़ से टकराकर लोडिंग वाहन पलटने से पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत

भिंड, 12 मई. जिले में मंगलवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा दंदरौआ धाम के पास मेहगांव-मौ मुख्य मार्ग पर हुआ.

जानकारी के अनुसार, मौ क्षेत्र से पांच लोग एक लोडिंग वाहन में सवार होकर दंदरौआ जा रहे थे. वाहन में एक भैंस भी लदी हुई थी. जैसे ही वाहन दंदरौआ धाम गेट नंबर-1 के पास पहुंचा, चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे पेड़ से टकराने के बाद पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान 50 वर्षीय प्रीतम मांझी, उनके पुत्र सुनील मांझी निवासी ग्राम छोली, जिला ग्वालियर तथा उपेंद्र राणा निवासी लखनौती, डबरा जिला ग्वालियर के रूप में हुई है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के पहिए ऊपर की ओर हो गए. हादसे में रामरूप बघेल निवासी एरोली और मानवेंद्र ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही मेहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया.

ट्रक ने दो बाइक सवार युवकों को कुचला

ग्वालियर. बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के मोती झील इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया. दोनों युवकों के हाथ पैर कुचले हुए हैं और वे गंभीर रूप से घायल हैं. ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. आए दिन मोती झील इलाके में हादसे होते हैं. खराब सड़क हादसे का कारण बनी है. बुरी तरह जख्मी हुए युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कूनो में 4 चीता शावकों की मौत

श्योपुर, 12 मई. कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता के चार शावक मृत पाए गए हैं. करीब एक महीने के इन शावकों के शव मांद के पास मिले, जिनके आंशिक रूप से खाए जाने के निशान भी मिले हैं. वन विभाग ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. मादा चीता फिलहाल सुरक्षित है. श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता केजीपी12 के चार शावकों की मौत हो गई. मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट यानि मांद के पास चारों शावकों के शव मिले. वन विभाग के मुताबिक शव आंशिक रूप से खाए हुए थे, जिससे किसी जंगली जानवर के शिकार की आशंका जताई जा रही है. शावकों का जन्म 11 अप्रैल 2026 को हुआ था और वे करीब एक महीने के थे. टीम ने उन्हें 11 मई की शाम आखिरी बार जीवित देखा था. मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा. वन विभाग ने बताया कि मादा चीता पूरी तरह स्वस्थ है. इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. कूनो में अब 50 चीते बचे हैं, जिनमें 33 भारत में जन्मे चीते हैं. गांधी सागर अभयारण्य में 3 चीते मौजूद हैं.

प्रदेशभर में 65 फीसदी हुआ मतदान

एसबीसी चुनाव : 112 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद

जबलपुर, 12 मई. मप्र स्टेट बार में मंगलवार को हुए चुनावी संग्राम में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान किया. प्रदेशभर में 250 से अधिक मतदान केन्द्रों में देर शाम तक मतदान का आंकड़ा 65 फीसदी रहा, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 87 हजार के करीब थी. जिसके बाद 112 प्रत्याशियों जिसमें 98 पुरुष व 24 महिला प्रत्याशियों भाग्य मतपेटियों में कैद हो गया. जिसके बाद मतपेटियों को पूरी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में कराया गया.

जानकारी अनुसार प्रदेश में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने पिछले कई महीनों से प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया था. जिसके बाद संपन्न हुई नामांकन प्रक्रिया के बाद 122 प्रत्याशी मैदान में थे, जो कि 23 सदस्यों का चयन करेंगे.

हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक व जिला न्यायालय के पार्किंग स्थल पर बनाये गये मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे. पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ ही साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी तैनात किया गया था, लेकिन उसकी कहीं नौबत नहीं आई, पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

पूर्व सूचना पर ही मतदाताओं को जानकारी दे दी गई थी कि उन्हें अपना परिचय पत्र लाना होगा. यदि वह किसी कारण वश परिचय पत्र नहीं ला पाये है तो संघ अध्यक्ष और सचिव से पहचान पत्र लाना होगा. जिसके बाद ही उन्हें मतदान करने दिया गया, हालांकि जबलपुर में सभी अधिवक्तागण अपने परिचय पत्र के साथ ही मतदान करने पहुंचे थे.

पूरे प्रदेश में शांति पूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है, जिसका एग्जिट आंकड़ा आना शेष है, लेकिन सीनियर से लेकर जूनियर अधिवक्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया. जिससे मतदान का आकड़ा 65 फीसदी होने का अनुमान है. प्रदेश में कुल कितना मतदान हुआ इसके आंकड़े रात तक स्पष्ट होंगे.

एसके पालो, सेवानिवृत्त जस्टिस व निर्वाचन अधिकारी

एक नजर में

लग्जरी कार छोड़ साइकिल से कोर्ट पहुंचे हाईकोर्ट जस्टिस

जबलपुर, 12 मई. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल लग्जरी कार छोड़ साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे. मंगलवार 12 मई को उनका वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई. जानकारी के अनुसार जस्टिस डीडी बंसल करीब 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर सिविल लाइंस स्थित निवास से हाईकोर्ट पहुंचे. इस दौरान रास्ते भर लोगों की नजरें उन पर टिकी रहीं. हाईकोर्ट परिसर पहुंचने पर भी कर्मचारियों और आम लोगों ने उन्हें उत्सुकता से देखा.

महाकाल मंदिर में तमन्ना ने पूजा -अर्चना की

उज्जैन, 12 मई. प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी की प्रातः कालीन भस्म आरती में दर्शन लाभ लिए. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से इंजीनियर शिवाकांत पांडे द्वारा तमन्ना भाटिया का स्वागत एवं सत्कार किया गया.

बड़े भाई ने की छोटे भाई की निर्मम हत्या

घटना के बाद हरदुआ गांव में पसरा सन्नाटा

रीवा, 12 मई. जिले के गुढ़ क्षेत्र मे घरेलू विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सन्नाटे का माहौल बना हुआ है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरदुआ निवासी धर्मेंद्र कोल उर्फ भिंडू कोल (28 वर्ष) का अपने छोटे भाई गोलू कोल (23 वर्ष) से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर धर्मेंद्र ने गोलू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से गोलू की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी धर्मेंद्र कोल अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही गुढ़ थाना प्रभारी शैल यादव, पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मृतक का शव उसके पैतृक घर पर रखा गया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई है तथा फोरेंसिक टीम के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है. विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जाएगा.

पैसों के विवाद में मजदूर की हत्या

शिवपुरी, 12 मई. जिले के बदरवास थाना क्षेत्र स्थित गरगट्ट गांव में एक मजदूर की हत्या कर दी गई. मजदूरी के पैसों को लेकर हुए विवाद में गांव के ही एक युवक ने लुहांगी से हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया. हमले में गंभीर चोट आने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान पप्पू आदिवासी के रूप में हुई है, वह घर के बाहर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी आरोपी दिलीप आदिवासी वहां पहुंच गया. दिलीप ने अपनी बहन कारो आदिवासी की मजदूरी के पैसे पप्पू से मांगे. पप्पू ने कहा कि वह मजदूरी के पैसे सीधे कारो को ही देगा, जिस पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.

ममता बनर्जी के भतीजे की सुनवाई 16 जून को

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई 16 जून तक के लिए बढ़ा दी है. इस बीच याचिकाकर्ता के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी. हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई दौरान उनके पैरोकार बहस नहीं करते तो आवेदन पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा और अंतरित राहत आगे नहीं बढ़ाई जायेगी.

दरअसल, मानहानि का केस आकाश विजयवर्गीय ने दायर किया है. नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था. इस बयान को लेकर आकाश ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था. अभिषेक की ओर से याचिका दायर कर दलील दी गई थी कि वे वर्तमान में टीएमसी सांसद हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है. मामले में आगे हुई सुनवाई पर आवेदक की ओर से समय दिये जाने की प्रार्थना पर न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये.

पुलिस कमिश्नर भोपाल बयान को शिकायत मानकर करें कानूनी कार्यवाही

जबलपुर। भोपाल से गिरफ्तार किये गये कांग्रेस आईटी सेल के तीन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवैध हिरासत माना है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने आदेश जारी किये है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर के द्वारा पीड़ित के द्वारा दर्ज किये गये वयानों की प्रति पुलिस कमिश्नर भोपाल को भेजी जाये। पुलिस कमिश्नर बयान को शिकायत मानते हुए कानून अनुसार उचित कार्यवाही करें।

गौरतलब है कि पूर्व सीएम वसुंधरा

मानहानि के मामले सुनवाई 14 तक बढ़ी

जबलपुर. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये समन के चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे ने कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से जवाब पेश समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ की आग्रह को स्वीकार करते हुए दो दिन का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई निर्धारित की है.

जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के सामने रखें लापरवाही के मुद्दे

बरगी क्रूज हादसे के संबंध में दायर तीन याचिकाओं का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने दिये निर्देश

जबलपुर. बरगी क्रूज हादसे में लापरवाही के कारण हुई 13 से 15 यात्रियों के मौत के खिलाफ हाईकोर्ट में तीन जनहित दायर की गयी थी. याचिका में राहत चाही गयी थी कि घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने घटना को दुखत करार देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटना घटित नही होनी चाहिये. युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया है कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें. नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ जी पी मिश्रा सहित दो अन्य की तरफ से बरगी क्रूज हादसे को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि पर्यटन विभाग सुरक्षा मानकों की अनदेखी की पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है. पर्यटन विभाग सुरक्षा मानक का पालन करता तो यह घटना घटित नहीं होती. क्रूज का एक इंजन खराब था और येलो अलर्ट की जानकारी पायलट को नही दी गयी थी.

अश्लील वीडियो से 10 लाख की मांग

फर्नीचर कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर बंधक बनाया

मुरैना, 12 मई. जिले के जौरा थाना क्षेत्र में एक फर्नीचर कारोबारी को महिला द्वारा हनी ट्रैप में फंसाकर बंधक बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने महिला समेत उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार फर्नीचर कारोबारी रमेश उर्फ पप्पू शिवहरे की करीब तीन माह पूर्व सोनम कुशवाह नामक महिला से मुलाकात हुई थी. महिला ने 10 मई को कारोबारी को फोन कर मनीष पेट्रोल पंप के पास फर्नीचर सेट करने और एसी फिटिंग के बहाने बुलाया. बताया गया है कि कारोबारी के बताए गए स्थान पर पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद महिला और उसके साथियों ने उसे एक कमरे में बंद कर लिया. आरोपियों ने उसके कपड़े उतरवाकर मारपीट की और अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और झूठे दुष्कर्म प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की गई. इधर कारोबारी के अचानक संपर्क से बाहर होने पर परिजन और परिचित उसकी तलाश में जुट गए. देर रात तक विभिन्न स्थानों पर खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका. बताया जा रहा है कि आरोपी कारोबारी को किसी अन्य स्थान पर ले जाने की तैयारी में थे.

डरे-सहमे कारोबारी से आरोपियों ने सोने की अंगूठी और जेब में रखे पांच हजार रुपए भी छीन लिए. विरोध करने पर उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई. आरोपियों ने पुलिस को सूचना देने पर वीडियो वायरल करने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी. उधर परिजन, मित्र और समाज के लोग पूरी रात कारोबारी की तलाश में सक्रिय रहे. कई संभावित स्थानों पर खोजबीन के बाद मामले का खुलासा हुआ. जौरा थाना पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर मुख्य आरोपी महिला समेत अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में किए दर्शन

भोपाल, 12 मई. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने असम स्थित पावन शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन एवं पूजन किया. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि दिव्य धाम अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा और दैवीय चेतना से परिपूर्ण है, जिसकी अनुभूति मन आत्मा को अपार शांति प्रदान करती है. उन्होंने मां कामाख्या से समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की.

अब फैसले का इंतजार आने वाली हैं निर्णायक घड़ी, दोनों पक्षों की दलीलें हुई पूरी, आदेश रखा सुरक्षित

इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला केस की बहस खत्म

नव भारत न्यूज

इंदौर. भोजशाला के बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में लंबी सुनवाई के बाद अब फैसला आने की घड़ी नजदीक आ गई है. मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के साथ ही कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक साक्ष्य और धार्मिक स्वरूप को लेकर तीखी बहस हुई, जिसके बाद अब सभी की नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.

यह मामला वर्ष 2022 में तब शुरू हुआ था, जब रंजना अग्निहोत्री सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के माध्यम से याचिका दायर कर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की थी. इसके बाद 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया. 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिनभर निर्बाध पूजा की अनुमति दी थी.

6 अप्रैल से शुरू हुई नियमित सुनवाई 12 मई को पूरी हुई. सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, विनय जोशी और याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने भोजशाला को प्राचीन सरस्वती मंदिर और विद्या केंद्र बताते हुए कई ऐतिहासिक व पुरातात्विक साक्ष्य पेश किए. एएसआई सर्वे, शिलालेख, स्तंभ, देवी सरस्वती से जुड़े प्रतीक, संस्कृत व नागरी लिपि के अभिलेख और ब्रिटिशकालीन गजेटियर का हवाला दिया. साथ ही वसंत पंचमी पर लंबे समय से पूजा परंपरा का भी उल्लेख किया. याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने स्थापत्य संबंधी तकनीकी तर्क रखते हुए कहा कि परमारकालीन ग्रंथ समरांगण सूत्रधार में बताए गए मंदिर निर्माण के मानकों से भोजशाला की संरचना मेल खाती है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि ग्रंथ में 4:6 अनुपात का उल्लेख है, जबकि एएसआई रिपोर्ट में भोजशाला की चौड़ाई 38.41 मीटर और लंबाई 57.45 मीटर दर्ज है, जो इसी अनुपात के करीब है. परिसर में मिले हवन कुंड और सर्पबंदी शैली के शिलालेखों को भी मंदिर स्थापत्य से जोड़ा गया है.

सर्वे के दौरान सूचना न मिलने, गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलने का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं होने और सर्वे प्रक्रिया पर भी आपत्तियां दर्ज कराई गईं. याचिका में हिंदू समाज को नियमित पूजा का अधिकार देने, परिसर में नमाज पर रोक, केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट गठन, एएसआई के 2003 के आदेश को निरस्त करने और ब्रिटिश म्यूजियम से मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने जैसी मांगें रखी गई हैं. वहीं केंद्र और राज्य सरकार के साथ एएसआई ने भी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट और प्रशासनिक दस्तावेज पेश किए. अब सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

एक लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

टीकमगढ़, 12 मई. मध्यप्रदेश लोकायुक्त पुलिस की सागर संभाग टीम ने टीकमगढ़ में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एक कर्मचारी को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. आरोपी की पहचान नितिन मिश्रा, पिता राजेंद्र कुमार मिश्रा, उम्र 41 वर्ष, अतिरिक्त प्रभार स्थापना शाखा, मूल पद लैब टेक्नीशियन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़ के रूप में हुई है. शिकायतकर्ता देवेंद्र वाल्मीकि निवासी नगर परिषद कारी जिला टीकमगढ़ ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि उनके पिता हरिकिशन वाल्मीकि जनवरी 2026 में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़ से स्वीपर पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनके तीन समयमान वेतनमान के एरियर तथा अर्जित अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान लंबित था. आरोप है कि उक्त भुगतान कराने के एवज में आरोपी कर्मचारी द्वारा दो लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायत के सत्यापन के दौरान सात मई को आरोपी ने प्रथम किश्त के रूप में 50 हजार रुपए ले लिए थे. सत्यापन उपरांत आज लोकायुक्त टीम ने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़ के लेखा शाखा कक्ष में कार्रवाई करते हुए आरोपी नितिन मिश्रा को दूसरी किश्त के रूप में एक लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. कार्रवाई निरीक्षक कमल सिंह उईके, निरीक्षक मंजू किरण तिर्की एवं लोकायुक्त सागर संभाग की टीम द्वारा की गई.